न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व वाद संख्या 177/2010

अब्दुल उर्फ कालू बनाम शौकिन व अन्य

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 कास्त0 अधि01955 में

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 19

आदेश दिनांक 03.02.2020

वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, राज0 कास्त0 अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण को पक्षकार मुर्तिब कर प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठीत धारा 151 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी अभिभाषक द्वारा प्रति प्राप्त की । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया ।

प्रतिवादीगण के अभिभाषक के द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना में अंकित कथनों दौराते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियों में से खसरा नम्बर 1361 रकबा 00–19–10 एवं खसरा नम्बर 1280 रकबा 00–19–00 की कृषि भूमियां वाद पत्र प्रस्तुति के पूर्व ही आवासीय प्रयोजनार्थ धारा 90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही की जाकर नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम जरीये नामान्तकरण संख्या 154 दिनांक 26.4.2007 खातेदारी अंकित की जा चुकी है। अतः खसरा नम्बर 1361 एवं 1280 बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित नही होकर वाद पत्र वादी विधि द्वारा वंर्जित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादी को उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की वाद पत्र प्रस्तुती से पूर्व विधिवत जानकारी होने के बावजूद नगर सुधार न्यास अजमेर को वाद पत्र में पक्षकार संयोजित नही किया गया तथा ना ही उक्त तथ्यों बाबत किसी प्रकार की चाराजोही की गई है। अतः वादी का वाद पत्र मिसकन्सीवड होकर बदनियतीपूर्वक व अस्वच्छ हाथों के साथ प्रस्तुत होने से विधिक प्रावधानों के तहत वर्जित होकर काबिल निरस्तनीय है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियों में से खसरा नम्बर 382 मिन की कृषि भूमियों को वाद एवं अन्य विधिक वारिसान द्वारा वाद पत्र प्रस्तुती से पूर्व ही विक्रय किया जाकर भौतिक अधिपत्य केता श्रीमती रूकमणी को प्रदान

Scanned by CamScanner

किया जा चुका है। जिस विकय के आधार पर जरीये नामान्तकरण संख्या 344 दिनांक 11.2.2005 द्वारा केता के नाम खातेदारी का अंकन किया जा चुका है इसके बावजूद भी वादी द्वारा उक्त खसरा नम्बर को सम्मिलित कर वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है, परन्तु श्रीमती रूममणी को विभाजन के वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार संयोजित नही किया गया है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 1 नियम 9 के परन्तुक में उल्लेखित विधिक प्रावधानों से वर्जित होकर काबिल निरस्तनीय है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियों में से खसरा नम्बर 379 रकबा 00–15–10 में से 00–04–05 बिस्वा भूमि वाद पत्र प्रस्तुती से पूर्व से पूर्व ही सुश्री नीतू शर्मा पुत्री रमाकान्त शर्मा व श्री सचिन शर्मा पुत्र श्री रमाकान्त शर्मा को विकय की जाकर भौतिक आधिपत्य संभलाया जा चुका है। जिस विकय के आधार पर जरीये नामान्तकरण संख्या 390 दिनांक 04–04–2006 केतागण के पक्ष में खातेदारी का अंकन किया जा चुका है जिन्हे भी विभाजन के वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के उपरान्त भी पक्षकार संयोजित नही किया गया है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों में से खसरा नम्बर 1280 रकबा 00–19–00 बीघा सम्पूर्ण कृषि भूमि को वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वज एवं मूल खातेदार कम्मा पुत्र चन्दा द्वारा जरिये 6 विभिन्न पंजिकृत विकय पत्रों द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 17 एवं 19 विभिन्न पंजीकत विकय पत्रों द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 17 एवं 19 तथा अन्य को विकय किया जाकर भौतिक आधिपत्य संभला दिया गया जिन पर आजदिवस को केतागण काबिज होकर मकान एवं चारदीवारिया निर्मित कर आवासीय रूप में उपयोग व उपभोग कर रहे है। जिन सम्पूर्ण केतागण को विधिवत जानकारी के उपरान्त भी वादी द्वारा माननीय न्यायालय से बदनियतिपूर्वक एवं अनुचित अनुतोश किये जाने के उदेश्य से पक्षकार संयोजित नही किया गया है। प्रतिवादी संख्या 15 व 16 की ओर से मुख्त्यारआम श्री शहाबुद्दीन द्वारा खसरा नम्बर 1280 बाबत पश्चातवर्ती तथाकथित विकय पत्र दिनांक 27.9.2010 के आधार पर एक सिविल वाद संख्या 124/2010 व अस्थायी निषेघाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 103/2010 सिविल न्यायाधीश (क.ख.) अजमेर जिला अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें किसी प्रकार का प्राथमिक व अन्तरिम अनुतोष प्रदान नही कर विचाराधीन है। इस प्रकार सक्षम न्यायालय में विकसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही होने के कारण वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 15 व 16 जो कि उसकी सगी बहने है से दुर्भीसंधि कर प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 19 को अवधिक रूप से हानि पहुँचाने तथा उनके विधिक हक हिस्से व आधिपत्य में दखल उत्पन्न किये जाने की बदनियति पूर्वक वर्तमान स्वरूप में यह वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 19 स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

Scanned by CamScanner

वादीगण के अभिभाषक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब न देकर सीधे ही बहस कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए है। तथा जो आधार उल्लेखित किए गए है वह तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य लिए जाने के उपरान्त ही निर्णित किया जाना सम्भव है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे ।

उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से इस निष्कर्ष पहुँचे है कि विवादित भूमि वाद पत्र प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरितवर्तन कि जा चुकी है तथा वादीगण द्वारा आवासीय भूमि मानते हुए सिविल वाद सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो भी निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि वाद प्रस्तुति से पूर्व ही आवासीय संपरितवर्तन होकर नगर सुधार न्यास अजमेर में निहित हो चुकी है। इस कारण वादीगण का वाद पत्र प्रथम दृष्टया विधि एवं क्षेत्राधिकार से वर्जित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. में स्वीकार किया जाकर, वादी का वाद विधि एवं क्षेत्राधिकार से वर्जित होने सें खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 03.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner